न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया
जमानत आवेदन सं0–246/2026
चौथम थाना काण्ड सं0–308/25

राम रतन यादव – बनाम् – राज्य

उपस्थित
संजय कुमार–।।,
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
खगड़िया।

11.03.2026

काराधीन आवेदक/अभियुक्त **राम रतन यादव,** जो चौथम थाना काण्ड सं0–308/25, धारा–25(1–बी)ए, 26, 35 शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज मामले में दिनांक **20.11.2025** से काराधीन है, की ओर से शपथ–पत्र से समर्थित दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राजनंदन प्रसाद के द्वारा संचालित किया गया।

जमानत के बिन्दु पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा उसने कोई आपराध कारित नहीं किया है तथा उसे स्थानीय राजनीति एवं शत्रुता के कारण इस झूठे और मनगढ़ंत मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक की ओर से अन्य कोई जमानत आवेदन अन्य किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध अन्य एक आपराधिक मामला बनमा इटहरी थाना काण्ड सं0–37/24 दर्ज है, जिसमें वह जमानत पर है। जब्ती सुची के अनुसार, आवेदक के कब्जे से बिना हथियार के दो जिन्दा कारतूस बरामद किय गये हैं, लेकिन आवेदक इस घोर खण्डन करता है। आवेदक पैदन अपने गाँव जा रहा था और पुलिसकर्मियों ने उसे जब्ती का गवाह बनने के लिए कहा, लेकिन इनकार करने पर उसे भी इस मामले में आरोपी बना दिया। आवेदक को मोटरबाईक के जब्त किये गये हथियारों और गोला–बारूद से कोई संबंध नहीं है। आवेदक मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार है तथा फरार नहीं होगा। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने की कृपा की जाय।

विद्वान् अपर लोक अभियोजक के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया
जमानत आवेदन सं0–246/2026
चौथम थाना काण्ड सं0–308/25

लगातार
11.03.2026

सूचक अभिमन्यु कुमार सिंह, स0अ0नि0 चौथम थाना के टंकित आवेदनानुसार, अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि सूचक दिनांक 19.11.25 को समय 17:30 बजे स0अ0नि0 अनिल कुमार सिंह एवं अन्य पुलिस बल के साथ कांड के अभियुक्त के छापामारी में ग्राम शिशवा के लिए थाना से प्रस्थान किये एवं ग्राम टेकरिया से शिशवा जाने वाली सड़क के पास पहुंचे तो देखा कि चार व्यक्ति मोटरसाइकिल से सुनसान सड़क पर खड़ा होकर आपस में बातचीत कर रहे थे तथा पुलिस गाड़ी को देखकर चारो इधर–उधर भागने का प्रयास करने लगे तथा उनमें से एक व्यक्ति अपने कमर में रखे लोहा का देशी कट्टा को मोटरसाइकिल के बगल में फेंक कर भाग गया। तत्पश्चात बल के सहयोग से दो व्यक्तियों को खदेड़कर पकड़ा गया, जिनसे बारी–बारी से नाम पूछने पर अपना–अपना नाम गुड्डु कुमार तथा राम रतन यादव बताया तथा देशी कट्टा फेंककर भागने वाले का नाम पूछने पर लवलेश कुमार बताया तथाा यह भी कहा कि लवलेश कुमार अपने कमर में देशी कटटा रखे था, जो फेंककर भाग गया तथा चौथे का नाम राहूल कुमार बताया। पकड़ाए व्यक्तियों की तलाशी हेतु स्वतंत्र साक्षी के नहीं मिलने पर बल के सिपाही संतोष कुमार तथा चंदन कुमार के समक्ष तलाशी के नियमों का पालन करते हुए पकड़ाए अभियुक्त गुड्डु कुमार की तलाशी के क्रम में उसके दाहिनें पैंट के पॉकेट से दो जिंदा कारतूस एवं राम रतन यादव के पहने दाहिनें पैंट के पॉकेट से दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया। बरामद कारतूस, देशी कटटा एवं मोटरसाइकिल के संबंध में मांगने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, न ही कोई कागजात ही प्रस्तुत किया, तब फेंके गए देशी कट्टा एवं चारों जिंदा कारतूस तथा सड़क किनारे लगे मोटरसाइकिल को जप्त कर जप्तीसूची बनायी गयी तथा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि इस आपराधिक वाद में आवेदक सहित अन्य सह–अभियुक्तों के विरूद्ध ऊपरी अंकित धाराओं के अन्तर्गत

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्, खगड़िया
जमानत आवेदन सं0–246/2026
चौथम थाना काण्ड सं0–308/25

लगातार
11.03.2026

प्राथमिकी दर्ज की गयी है। आवेदक सहित अन्य सह–अभियुक्तों पर अवैध देशी कट्टा, चार जिन्दा गोली एवं मोटरसाईकिल रखने का आरोप है। आवेदक/अभियुक्त राम रतन यादव के कब्जे से दो जिन्दा गोली एवं हीरो स्पेण्डर मोटरसाईकिल बरामद किया गया है, जबकि सह–अभियुक्त लवलेश कुमार, जो अपने कमर से देशी कट्टा निकाल कर फेंक दिया और भाग गया, वह देशी कट्टा जब्त किया गया है तथा सह–अभियुक्त गुड्डू कुमार के कब्जे से दो जिन्दा गोली (कुल चार जिन्दा गोली एवं एक देशी कट्टा) बरामद किया गया है, जिसकी जब्ती सूची अभिलेख पर उपलब्ध है। घटनास्थल से आवेदक/अभियुक्त एवं सह–अभियुक्त गुड्डू कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य सह–अभियुक्त लवलेश कुमार एवं राहुल कुमार भागने में सफल रहा है। आवेदक के विरुद्ध अन्य एक आपराधिक मामला बनमा इटहरी थाना काण्ड सं0–37/24 भी दर्ज है। कारित अपराध समाज एवं राष्ट्र के प्रतिकूल है, ऐसी दशा में आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना न्यायाचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, मामले की प्रकृति एवं गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

(हस्ताक्षर)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्,
खगड़िया।

Date of Judgement/Order	11.3.26
Date of Reserving Judgement/Order	—
Uploading Date	16.03.26
Uploading by	Nilesh Kumar (D.C.O)